

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़मोह0 हुसैन

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा

विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)नं0 003सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.04.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी मोहम्मद हुसैन पिता रफीक जाति मुसलमान निवासी बोलतलगंज तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश की ओर से पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 056/2022 दिनांक 28.01.2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5 व 6 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन)नियम, 1955 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 14 GC 2313 को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा से कमेन्ट्स मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/.... दिनांक 23.03.2022 से रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया गया है जब्तशुदा वाहन के संबंध में कोई अनुसंधान करना शेष नहीं है। तथा प्रकरण में वाहन की आवश्यकता नहीं है। थानाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलीज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा से प्राप्त अनुसंधान पत्रावली का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा द्वारा अवगत कराया गया है कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है, चूंकि वाहन बोलरो पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या MP 14 GC 2313 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः दस लाख रुपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस थानाधिकारी सदर निम्बाहेडा से प्राप्त केस डायरी लौटाई जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">-SD-</p> <p style="text-align: center;">(अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ 05.04.2022</p>	

